दिनांक 07.09.2017 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

➢ बैठक में स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत प्रमुख घटक ODF तथा ठोस कचड़ा प्रबंधन (SWM) पर विशेष चर्चा की गयी। पूरे देश में अन्य राज्यों की तूलना में बिहार में ODF की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की गयी तथा अभियान चलाकर बिहार के हर वार्ड को शीघ्र ही ODF कराये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इस अभियान से जुड़ने एवं इसके सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर कार्यरत प्रमुख संगठनों यथा–N.C.C.(National Cadate Core), N.S.S.(National Service Scheme), Scout & Guide एवं N.Y.K. (Nehru Yuva Kendra) के प्रतिनिधियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया। उक्त संगठनों के आमंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा ODF अभियान में जुड़ने में सहमति व्यक्त की गयी तथा अभियान के सफल कार्यान्वयन हेतु आमंत्रित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किया गया, जो इस प्रकार है :--

- सर्वप्रथम ODF अभियान के तहत हर वार्ड के प्रत्येक घर में जाकर शौचालय की स्थिति देखेंगे तथा घर में शौचालय रहते हुए यदि कोई व्यक्ति खुले में शौच के लिए जाता है तो संगठन के सदस्यों द्वारा इसे रोका जाय एवं सामाजिक शर्मिंदगी एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में समझायें। इसके लिए विभाग के स्तर से एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- खुले में शौच से व्यक्ति को रोकने के लिए कई उपाय सुझाये गये, जैसे:–गुलाब का फूल देकर सेल्फी लिया जाना, सीटी बजाना, ढोल नगारा बजाना आदि।
- ODF अभियान में NCC, NSS, Scout & Guide एवं NYK के सदस्यों को जोड़े जाने एवं वार्डों को आवंटित करने के बिन्दु पर दिनांक 14.09.2017 को जिला स्तर पर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की जाय। इसके लिए कन्ट्रोल रूम बनाया जाय जिसमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग की भी सहभगिता रहेगी।

- ODF अभियान में शामिल NCC, NSS, Scout & Guide एवं NYK के सदस्यों को कार्य के दौरान कैप, टी–शर्ट, ODF अभियान सदस्यता कार्ड, ODF Hand-Band एवं नाश्ता–पानी की व्यवस्था नगर निकाय द्वारा की जाय तथा सफल अभियान के लिए संगठन के स्वंय सेवकों को प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाय।
- अन्य वार्डो के अतिरिक्त विशेषकर नदी एवं रेलवे के किनारे बसे आबादी/स्लम बस्ती को ODF अभियान के लिए चिहिन्त किया जाय।
- इस योजना के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु ODF अभियान आरंभ करने से पूर्व वार्ड में लाउडस्पीकर एवं पम्फलेट के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाय।
- मेयर, डिप्टी मेयर एवं अध्यक्ष के साथ वार्ड में इस विषय पर बैठक का आयोजन किया जाय।

SBM योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बख्तियारपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), बगहा, नरकटियागंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, मधेपूरा आदि नगर निकायों में निर्मित एवं निर्माधीन व्यक्तिगत शौचालय लक्ष्य से 25 प्रतिशत से भी कम है। जिन नगर निकायों में डाटा मैच नहीं कर रहा है वहॉ ऑन–लाईन Editing करायी जाय। फारबिसगंज नगर परिषद द्वारा जानकारी दी गयी कि वहॉ लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त प्राप्ति के उपरांत भी शौचालय का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि सूचना देते हुए लाभुकों पर कार्रवाई की जाय। जिन नगर निकायों द्वारा अब तक अद्यतन रिपोर्ट विभाग में प्राप्त नहीं कराया गया है उन्हें हर सप्ताह विभाग में रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया गया। ODF हेतु Drive के रूप में दिनांक 2–11 अक्टूबर तक के लिए स्वच्छता शपथ एवं पद यात्रा का कार्यक्रम किया जाना है ताकि 31 दिसम्बर 2017 तक ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। वैसे परिवार जिसके पास न तो शौचालय है और ही शौचालय निर्माण के लिए भूमि है, वैसे परिवारों को सामुदायिक शौचालय अथवा चलन्त शौचालय की व्यवस्था करायी जाय। चलन्त शौचालय के क्रय के लिए बुडकों द्वारा दर निर्धारित है। ठोस कचड़ा प्रबंधन के अन्तर्गत कबाड़ीवाले डीलरों का सर्वे कर उनके साथ बैठक कर वैसी जमीन उपलब्ध कराने हेतु कहा जाय, जहॉ कचड़ा डाला जायेगा तथा उन कबाड़ीवालो को सुखा कचरा 2–3 महीने मुफ्त में दी जाय तत्पश्चात् बाद में इसके हिसाब से दर का निर्धारण किया जाय और खुली निविदा प्रक्रिया से आवंटित किया जाए। गीला कचड़ा कम्पोसटिंग कर खाद बनाने हेतु नगर निकायों में पीट का निर्माण कराया जाना है ताकि गीले कचड़े से खाद का निर्माण कर बाजार में बिक्री की जा सके। निदेश दिया गया कि Segragation at Source कराया जाय जिसके तहत हर

घर को संबंधित नगर निकायों द्वारा अलग–अलग रंग का दो कुड़ेदान उपलब्ध कराना है, लेकिन कुड़ेदान मंहगे नहीं होनी चाहिए। कुछ नगर निकायों द्वारा अधिक दर पर कुड़ेदान का क्रय किया गया है, जो जॉच का विषय है। दानापुर नगर परिषद तथा जहानाबाद नगर परिषद में अधिक मूल्य पर डस्टबीन का क्रय किया गया है, अतः उक्त ULB की जॉच की जाय। यह भी निदेश दिया गया कि टेन्डर की प्रक्रिया अपनाकर ही कुड़ेदान का क्रय किया जाना है, परन्तु कुड़ेदान का दर सर्वे के दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। Community Toilet के निर्माण में अब नगर निकाय को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। समीक्षा में पाया गया कि कुछ नगर निकायों में SBM योजना खाता में राशि बची हुई है तथा भुगतान पुराने खाते से ही किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि प्रथम किस्त का भुगतान अब ICICI Bank के Mother Child Account से किया जाय एवं वैसे नगर निकाय, जिन्होंने प्रथम किस्त का भुगतान पुराने खाते से किया गया है, वे आवश्यकतानुसार द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान की जाने वाले राशि को छोड़कर शेष राशि को विभाग द्वारा भेजे गये वॉछित प्रपत्र में सूचना के साथ विभाग में जमा करा दें। ICICI Bank के कार्यो की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि कुछ नगर निकायों से संबंधित बैंक शाखा द्वारा राशि देने के एवज में चेक की मॉग कर रहे है, जबकि चेक मॉगे जाने का प्रावधान नहीं है। ICICI Bank को निदेश दिया कि इस शिकायत की जॉच करें। बरबिगहा नगर परिषद का ICICI Bank का खाता बिहारशरीफ में खोला गया है जबकि खाता शेखपूरा ब्रॉच में खोला जाना चाहिए था। SBM योजनान्तर्गत IEC Component में पिछले वर्ष कार्य हुआ है, किन्तु उक्त कार्य का Payment संबंधित नगर निकाय से NOC के अभाव में लंबित है तथा विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से नगर निकायों में हुए कार्य का ब्यौरा मॉगा गया है। अतएव यदि IEC Component में नगर निकाय में कार्य हुआ है तो शीघ्र ही संबंधित नगर निकाय को NOC विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। इस वर्ष भी IEC Component में विभाग द्वारा दर निर्धारित कर दिया गया है, नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निर्धारित दर संबंधी पत्र को सभी निगर निकाय को परिचारित कराया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

Housing for All

➢ सबके लिए आवास योजना अन्तर्गत समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद, अरवल में 474 स्वीकृत आवासीय ईकाई में से मात्र 26 का कार्यादेश निर्गत है। यहाँ बालू की समस्या बतायी गयी। औरंगाबाद नगर परिषद द्वारा सही डाटा प्रस्तुत नहीं किया गया उन्हें डाटा सुधारने का निदेश दिया गया। बेनीपुर को निदेशित किया गया कि कार्य में तेजी लाये तथा कार्यादेश निर्गत कर प्रथम किस्त का वितरण करें। नगर परिषद दानापुर अन्तर्गत 177 स्वीकृत आवासीय ईकाई में से एक भी कार्यादेश निर्गत नहीं किये जाने के कारण प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। वहीं नगर परिषद खगौल की प्रगति शून्य है। निदेश दिया गया कि बोर्ड से बैठकर कर राशि के प्रत्यर्पन की कार्रवाई की जाय। इसी प्रकार दरभंगा, ढाका, फारवीसगंज, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, हिलसा, जमालपुर, कैमूर, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्णिया, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल आदि का कार्य प्रगति 10 प्रतिशत से भी कम है। प्रधान सचिव द्वारा 10% से कम उपलब्धि के नगर निकायों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

➢ निदेश दिया गया कि योजना के कार्य में प्रगति लायी जाय। कागजात पूर्ण होने पर ही अभिलेख खोला जाय। विहित प्रपत्र में दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। सबके लिए आवास (शहरी) योजनान्तर्गत BLC घटक में स्वीकृत लाभूकों का निर्माण प्रारंभ करने के संबंध में एक दिशा निदेश विभागीय पत्रांक 1692 दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्गत किया गया है, जिसका दृढ़ता से अनुपालन कराया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

DAY-NULM

- EST&P घटक :– औरंगाबाद नगर परिषद में बिहार कौशल विकास अन्तर्गत 5 कौशल प्रशिक्षण प्रदायी संस्था (S.D.C.) की सूची भेजी गयी थी। बताया गया कि जिसमें से सिर्फ 1 संस्थाओं के साथ ही एकरारनाम हुआ है। उसका प्रतिवेदन विभाग में अप्राप्त है। शीघ्र प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। भागलपुर में एस०डी०सी० का एकरारनामा अभी तक नहीं हुआ है। शीघ्र संस्थान से बात कर एकरारनाम कराने का निदेश दिया गया। दरभंगा में प्रशिक्षण आरंभ है। इसी प्रकार बेगुसराय में एक संस्थान की सूची भेजी गयी थी किन्तु एकरारनामा की सूचना अप्राप्त है। शीघ्र सूचना भेजने हेतु निदेशित किया गया। बिहारशरीफ में 3 संस्थानों में से 1 के साथ एकरारनामा, दानापुर एवं बक्सर में 4 संस्थानों के साथ, गया में 6 संस्थानों में से 3 के साथ एकरारनाम हुआ। निदेश दिया गया कि शीघ्र ही उक्त संस्थानों में प्रशिक्षण का कार्य आरंभ किया जाय। नगर परिषद, हाजीपुर में 7 संस्थानों में से 5 संस्थानों के साथ एकरारनामा किया गया, किन्तु प्रशिक्षण कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। हाजीपुर में स्थित सी–पैट में प्रशिक्षण कार्य आरम्भ है एवं वहॉ के लगभग सभी प्रशिक्षणार्थियों का कहीं न कहीं प्लेसमेंट हो गया है। निदेश दिया गया कि हाजीपुर के साथ ही अन्य नगर परिषद के युवक–युवतियों को सी–पैट हाजीपुर से प्रशिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाय। निदेश दिया गया कि सभी नगर निकाय BSDM द्वारा उपलब्ध कराये गये संस्थानों के साथ एकरारनामा कर शीघ्र प्रशिक्षण कार्य आरम्भ करावें एवं जिन संस्थानों द्वारा इसमें अभिरूचि नहीं ली जा रही है अथवा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा संस्थानों का शहरी आबादी से काफी दूर होने पर कारण अंकित करते हुए वापस लौटाने का निदेश दिया गया।
- SMID घटक :–Self Help Group के गठन के मामले में प्रगति ठीक नहीं है। प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार बगहा, बाढ़, बेनीपुर, बिहारशरीफ, जमुई, मसौढ़ी, नरकटियागंज, पूर्णिया, रक्सौल, सुलतानगंज, समस्तीपुर आदि नगर निकायों की प्रगति शून्य है एवं कुछ नगर निकायों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि शीघ्र प्रतिवेदन भेजें तथा भारत सरकार के MIS पोर्टल पर इसकी प्रविष्टी करायी जाय।

- SEP घटक :– निर्धारित लक्ष्य 60 के विरूद्ध अधिकांश नगर निकाय की प्रगति शून्य है, जबकि 6 माह बीत चुके हैं। कई नगर निकाय द्वारा प्रतिनियुक्त CMM द्वारा कार्य में रूचि नहीं लेने तथा कार्यालय नहीं आने की बात कही गयी। निदेश दिया गया कि वैसे CMM को कार्य से हटाया जाय।
- SUSV घटक :– सभी निकायों का फुटपाथ विक्रेताओं के सर्वेक्षित सूची का TVC से पारित कराकर मुद्रण हेतु विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही निकायों में आयोजित होने वाले शिविर में फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र का भी वितरण का निदेश दिया गया।
- SUH घटक :– आश्रय स्थल के निर्माण के प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि आरा, अरवल, शेखपूरा, सुपौल में आश्रय स्थल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन आश्रय स्थलों को शीघ्र क्रियाशील करने का निदेश दिया गया। अररिया, जहानाबाद, लखीसराय में प्रथम तल्ला का कार्य चल रहा है। भागलपुर, किशनगंज में प्लास्टर का काम चल रहा है। बिहारशरीफ में आश्रय स्थल आरम्भ हो गया है। बक्सर एवं गया में इलेक्ट्रीक का काम चल रहा है। जमुई में तृतीय तल्ला का निर्माण कार्य चल रहा है। कटिहार में दो महीने में आश्रय स्थल आरम्भ हो जायेगा। मधेपूरा में राशि की कमी बतायी जा रही है। औरगांबाद, बेगुसराय में जमीन का चयन कर लिया गया है, अंचलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। निदेश दिया गया कि जैसे ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है वहॉ पर निमार्ण कार्य आरम्भ कर दें। जहाँ किसी कारणवश कार्य नहीं हो पा रहा है वहाँ सकारण राशि लौटा दी जाय। उच्चतम न्यायालय के दिशा–निदेश के आलोक में फुटपाथ पर सोने वालों का सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय। भागलपुर में 7 आश्रय स्थल में सिर्फ 3 ही चालू बताया गया है। निदेश दिया गया कि अन्य 4 आश्रय स्थल को भी शीघ्र चालू करवायें। सभी नगर निकायों से एक–एक नया आश्रय स्थल के निर्माण करने हेतु प्रस्ताव भेजने तथा पूर्व के आश्रय स्थलों में यदि आवश्यक हो तो जीर्णोद्धार का प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
- समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कई नगर निकायों द्वारा वहॉ प्रतिनियुक्त CMMU को को टैक्स कलेक्टर के रूप में काम सौंपा गया है। निदेश दिया गया कि CMMU को टैक्स कलेक्टर का कार्यभार नहीं सौंपा जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

HRIDAY

➢ यह पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विरासत स्थलों के आस–पास बुनियादी संरचना और सुविधाए उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत विरासत के जुड़े स्मारकों के साथ साथ वहॉ के नागरिकों, पर्यटकों और स्थानीय व्यवसायों समेत पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाना है। बिहार में गया शहर को इस योजना में शामिल किया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। गया नगर निगम को निदेशित किया गया कि प्रगति प्रतिवेदन शीघ्र भेजी जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी)

मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना

➢ **खगोल, नगर परिषद** :– बताया गया कि बुडको द्वारा काम कराया जा रहा है। 2 वार्ड बचा है बुडकों से लिस्ट नहीं मिल पा रहा है। Buidco को निदेश दिया गया कि वे शीघ्र सूची उपलब्ध करा दें।

➢ **मसौढ़ी नगर परिषद** :– बताया गया कि कुल 26 वार्ड में से 10 वार्ड का निविदा हुआ है, बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा काम कराया जा रहा है।

➢ **मोकामा नगर परिषद** :– बताया गया कि नगर परिषद में 28 वार्ड का निविदा निष्पादित करते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया है जिसमें से 17 वार्ड में काम आरम्भ है। विभाग में इससे संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। अद्यतन प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

➢ **बख्तियारपुर नगर परिषद** :– बख्यिारपुर में 20 वार्ड में कार्य प्रारम्भ है, शेष कार्य PHED द्वारा कराया गया है। निदेश दिया गया कि विभाग में सप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें, यदि प्रगति शून्य हो तो भी। ताकि अद्यतन प्रतिवेदन से बिहार विकास मिशन को अवगत कराया जा सके।

➢ **फतुहा नगर परिषद** :– फतुहा में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्य किया जा रहा है। 7 वार्ड के लिए निविदा निकाली जा रही है।

➢ **हिलसा नगर परिषद** :– हिलसा नगर परिषद में 26 वार्ड में से 10 वार्ड के लिए निविदा निकाला गया है, शेष 16 वार्ड के लिए PHED द्वारा टेन्डर किया गया है।

➢ **नरकटियागंज नगर परिषद** :– नरकटियागंज में BOQ फाईनल नहीं हुआ है। यह मुख्य अभियंता के यहाँ लंबित बताया जा रहा है। मुख्य अभियंता, BRJP द्वारा BRJP के संबंधित अंचल को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

➢ **बिहट नगर परिषद** :– बिहट नगर परिषद में 9 वार्ड में काम आरंभ है 8 वार्ड में TS के लिए भेजा गया है। शीघ्र TS करने हेतु संबंधित BRJP के अभियंता को निदेशित किया गया।

➢ **लखीसराय नगर परिषद** :– जानकारी दी गयी कि 33 वार्ड में कार्य आरम्भ है। इसके लिए 475 स्थलों पर टेन्डर के माध्यम से समरसेबल पम्प लगाया गया है। विभाग में शीघ्र प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

➢ **खगड़िया नगर परिषद** :– बताया गया कि 26 वार्ड का टेन्डर हुआ है किन्तु कार्यादेश अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। कार्य में तेजी लाने एवं शीघ्र कार्यादेश निर्गत का निदेश दिया गया।

➢ **बेनीपूर नगर परिषद** :– 15 वार्ड में निविदा निष्पादन की सूचना दी गयी है, किन्तु विभाग में इससे संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। इन्हें प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

➢ सभी नगर निकायों को बताया गया कि जिन घरों में Self Boring है, वहाँ सिर्फ पाइप लाईन जायेगा, connectivity (House to House Connection) की आवश्यकता नहीं है। श्री सोमेश, कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में बिहार राज्य जल पर्षद से co ordinate करें ताकि ससमय समस्या का समाधान निकाल कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

➢ BRJP के अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया गया कि नगर निकायों से प्राप्त T/S, B.O.Q एवं निविदा निष्पादन की सूचना संबंधित नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त तथा संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता(डूडा) को E-mail के माध्यम से सूचित कर दिया जाय तथा तत्संबंधी पत्रों को BRJP के Website पर भी Upload कर दिया जाय। साथ ही तत्संबंधी साप्ताहिक रूप से समेकित प्रतिवेदन विभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण योजना

➢ निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में प्रथम चरण का टेन्डर प्रकाशित हो चुका हो/रि–टेन्डर हुआ हो/कार्य पूर्ण हो चुका हो, उन्हें निदेश दिया गया कि शीघ्र विभाग के प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार करवा लें। सभी नगर निकाय के पदाधिकरियों को बताया गया कि निविदा का मूल्यांकन आमंत्रित निविदा शर्तों के अनुसार ही किया जाय। यह भी स्पष्ट किया गया कि विभागीय Website पर Upload NIT प्रारूप में अपनी ओर से जोड़ या घटाव न करें। निविदा यदि बार–बार रद्द हो रही है तो कतिपय शर्तों की शिथिलता के लिए प्रस्ताव भेजकर मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन प्राप्त कर लें। निविदा निष्पादन हेतु भेजे गये कागजात के साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की प्राप्ति रसीद, पत्र की छायाप्रति, प्रकाशित टेन्डर की किसी एक अखबार की कटिंग अवश्य भेजी जाय। निविदादाता द्वारा अपलोड निविदा कागजात के सभी पृष्ठों को Download कर भेजा जाय एवं यह प्रमाण अंकित किया जाय कि Uploaded सभी कागजात Download कर संलग्न कर दिया गया है। S.B.D. कागजात शत–प्रतिशत अपलोड करना है तथा S.B.D. प्रारूप का अनुमोदन मुख्य अभियंता से निविदा के प्रकाशन के पूर्व प्राप्त कर लिया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता)

AMRUT

इस योजनान्तर्गत अमृत शहर को हर वर्ष एक–एक पार्क बनाना था, जिसकी समीक्षा निम्न प्रकार की गयी :–

➢ **बक्सर नगर परिषद** :– बताया गया कि एक पार्क के निर्माण हेतु निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। इसे शीघ्र निष्पादित किये जाने का निदेश दिया गया।

➢ **बेगुसराय नगर परिषद** :– पार्क निर्माण से संबंधित TS एवं प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है। जिसे शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।

➢ **आरा नगर परिषद** :– बताया गया कि पार्क निमार्ण का कार्य प्रगति पर है। सितम्बर माह के अन्त तक पार्क बनकर तैयार हो जायेगा एवं 5 अक्टूबर को यह चालू भी कर दिया जायेगा।

➢ **बिहारशरीफ नगर निगम** :– बताया गया है कि पार्क निर्माण में बिलंब का कारण संवेदक का सुस्ती से कार्य करना है। संवेदक को कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया।

➢ **दरभंगा नगर परिषद** :–बताया गया कि कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। अगले माह से कार्य आरंभ हो जायेगा।

➢ **छपरा नगर परिषद** :–बताया गया कि एक पार्क निर्माण का प्रस्ताव SLTC में भेजा जायेगा।

➢ **किशनगंज नगर परिषद** :–बताया गया कि एक पार्क चालू हो गया है, शेष का DPR विभाग में भेजा गया। जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

➢ **सासाराम नगर परिषद** :–बताया गया कि एक पार्क के लिए टेन्डर प्रकाशित किया गया है।

➢ **कटिहार नगर परिषद** :– बताया गया कि एक पार्क के लिए टेन्डर हुआ है वहॉ जमीन विवादित होने की समस्या बतायी जा रही है। पार्क निर्माण के लिए जमीन विवादित होने पर जगह बदले जाने का निदेश दिया गया।

➢ **पूर्णिया नगर परिषद** :– अमृत योजनान्तर्गत पार्क निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। शीघ्र प्रतिवेदन भेजने एवं कार्य में हो रहे विलंब का कारण स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

➢ **बेतिया नगर परिषद** :–बताया गया कि एक पार्क का निमार्ण कार्य प्रगति में है। दूसरे का BOQ अप्राप्त है, तीसरे में अभी कुछ नहीं हुआ है। कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

➢ **पटना नगर नगर** :– पटना नगर निगम का DPR वन विभाग को भेजा गया है। वन विभाग से co-ordinate करने का निदेश दिया गया।

➢ **गया नगर निगम** :–बताया गया कि एक पार्क के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत हो चुका है परन्तु कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। कार्य शीघ्र आरम्भ कराने का निदेश दिया गया।

➢ यह भी निदेश दिया कि जिन निगर निकायों में काफी समय से जमीन नहीं मिल पा रहा है वे आवंटित राशि विभाग को लौटा दें। पार्क के निर्माण में प्रगति ठीक नहीं है, अतः कार्य में तेजी लायी जाय। टी०एस०/सी०एस० में भी समय लग रहा है इसका शीघ्र निष्पादन किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/अभियंत्रण कोषांग)

AC/DC

➢ अररिया में लगभग 2.50 लाख का डी०सी० विपत्र जमा किया जाना है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जमा कर विभाग को सूचित करें। बेगुसराय में 27,86,400 की राशि को शीघ्र समायोजित कराया जाय। बेतिया में 4(चार) **AC** विपत्र काफी लम्बे समय से लंबित है, महालेखाकार कार्यालय में जाकर पुनः कागजात प्रस्तुत कर समायोजन कराया जाय तथा इसकी प्रति विभाग में भी दें। भागलपुर में 51 लाख की राशि समायोजन हेतु लंबित है, बताया गया कि वहाँ वर्तमान में नगर आयुक्त को वित्तीय प्रभार नहीं दिया गया है, निदेश दिया गया कि प्रस्ताव विभाग में भेजवाया जाए ताकि वित्तीय प्रभार दिया जा सके। इसी प्रकार सुलतानगंज, डूमरॉव, बक्सर, गोपालंज, जमुई, मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सुपौल आदि नगर परिषद में भी समायोजन हेतु राशि लंबित है, जिसके तुरंत समायोजन कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

उपयोगिता प्रमाण पत्र(U.C.)

➢ वित्तीय वर्ष 2003–04 से वर्ष 2014–2015 का नगर निगम, आरा में 7 करोड़ 41 लाख के लंबित उपयोगिता प्रमाण के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाय। नगर निगम, बेगुसराय का PHED से संबंधित 2 करोड़ 81 लाख का अनिकासी का मामला अभी भी लंबित है। इसी प्रकार बिहारशरीफ, छपरा, दरभंगा, गया, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, बेतिया, मधेपूरा, मसौढ़ी, मोतिहारी, रक्सौल, समस्तीपुर, सासाराम, सहरसा, सीतामढ़ी तथा सीवान आदि नगर निकाय के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अनिकासी का मामला लंबित है। संबंधित को निदेश दिया गया कि यदि मामला BUIDCO, PHED या BRJP से संबंधित है तो मिलकर मामले का निष्पादन कर लिया जाय तथा MIS से Cross Check कर प्रतिवेदन अद्यतन करा लिया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

लोक लेखा

➢ वित्तीय वर्ष 2000–2001 का लोक लेखा समिति को भेजे जाने वाला कंडिका 6.9.2 से 6.9.5 तक का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित संबंधित नगर निकायों से ,विभागीय पत्रांक 52 दिनांक 20/02/2017 द्वारा मॉगी की थी, परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन (साक्ष्य सहित) अभी तक अप्राप्त है। कुछ नगर निकायों का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त तो हुआ है। निदेश दिया गया है कि एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन(साक्ष्य सहित) विभाग में समर्पित करें। वित्तीय वर्ष 2007–2008 का लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 5.6.4 अभी भी लंबित है। संबंधित नगर निकाय को अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। बैठक में समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि लोक लेखा समिति का लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि समीक्षोपरान्त लोक लेखा समिति/महालेखाकार/वित्त विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

E-Municipality

➢ पटना नगर निगम में टैक्स कलेक्टर के आउटसोर्स के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है। 10 प्रतिशत से भी कम दर पर निविदा निष्पादित हुआ है। पूरे राज्य को कलस्टर में बाँट कर विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाएगा एवं एकरारनामा संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा तत्पश्चात इसके संबंध में सुझाव की मांग की गई। बताया गया कि टैक्स कलेक्शन हेतु रशीद पर ही कमर्शियल अथवा रेसिडेंसियल लिखा जाय एवं मकान, दुकान, मोबाईल टावर ट्रेड लाइसेंस आदि को GIS मैपिंग से जोड़े जाने की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्था की जाय कि ऑटो कैड से नक्शा निकाला जा सकता है एवं हर प्रोपर्टी सूचीबद्ध हो एवं नये प्रोपर्टी का असेसमेन्ट किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

Smart City

➢ बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी के लिए प्रोजेक्ट Report भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2017 है। नगर आयुक्त, बिहारशरीफ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शीघ्र तैयार कराना सुनिश्चित करेंगे। भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए PDMC का चयन हो चुका है। इन्हें कार्यालय हेतु एक जगह उपलब्ध करायी जाय ताकि उनके द्वारा DPR आदि बनाने का कार्य आरंभ हो सके।

पटना स्मार्ट सिटी एवं मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए संलेख प्रारूप विधि विभाग को भेजा गया है। निदेश दिया गया कि विधि विभाग में फोलो अप कर संचिका प्राप्त की जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त, बिहारशरीफ, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर)

अशोक सम्राट भवन

➢ अशोक सम्राट भवन के लिए नरकटियागंज में जमीन है, वहाँ बनाया जा सकता है। प्रस्ताव भेंजे। बख्तियार, बेगुसराय में प्रशासनिक भवन का, सहरसा एवं बाढ़ में अशोक सम्राट भवन बनाने का प्रस्ताव शीघ्र भेंजे।

प्रशासनिक भवन

➢ प्रशासनिक भवन से संबंधित नगर निकायों की समीक्षा की गई। कुछ नगर निकाय द्वारा जानकारी दी गई कि प्रशासनिक भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। वैसे नगर निकाय को यह निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजें ताकि आगे निर्णय लिया जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/ मुख्य अभियन्ता)

राज्य योजना

➢ प्रत्येक नगर निकायों में शवदाह गृह की उपलब्धता पर योजना बनायी जाय साथ ही कुड़ा उठाने वाले वाहन के लिए गैराज के निर्माण की अत्यावश्यकता है ताकि कुड़ा फेंकने के बाद वाहन की साफ–सफाई एवं रख–रखाव उक्त गैराज में किया जा सके। कुड़ा फेकने वाले वाहन के साथ–साथ बड़े शहरों के लिए पशुशव वाहन की भी योजना बनायी जाय।

➢ मास्टर प्लान हेतु भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, छपरा, बेगुसराय एवं मुंगेर के संबंधित जिलाधिकारी के कार्यालय से co-ordinate कर शीघ्र प्रस्ताव भेंजे।

➢ आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया गया कि योजनाओं के TA/TS निविदा संबंधी कें निष्पादन की अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाय ताकि योजना के निविदा प्रक्रिया एवं TA/TS संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त की जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

DEAS

➢ भभुआ, लखीसराय, मधुबनी, बेगुसराय, सुलतानगंज, बिहारशरीफ आदि नगर निकायों के बोर्ड से Fixed Assest Register पारित नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र बोर्ड से पास करा लिया जाय। होल्डिंग टैक्स की वसूल कम हो रही है। आन्तरिक संसाधन में वृद्धि हेतु होल्डिंग टैक्स सहित अन्य करों की वसूली में तेजी लायें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी)

14वॉ वित्त आयोग

➢ 14 वें वित्त आयोग के Performance Grant की राशि के प्राप्ति के लिए दिनांक 11.09.2017 से 16.09.2017 तक कार्यशाला आयोजित की गयी है। Performance Grant के लिए आवश्यक कागजात के साथ कार्यशाला में भाग लेने हेतु अपने संबंधित पदाधिकारी/कर्मी को भेजने का निदेश दिया गया।

स्ट्रीट लाईट

➢ विभिन्न नगर निकायों में LED Street Light के संबंध में बताया गया कि EESL से स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, फलतः नगर निगम अपने स्तर से LED Street Light का अधिष्ठापन हेतु तत्काल निविदा प्रकाशित नहीं करायें।

➢ नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, जिनके प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, से स्पष्टीकरण माँगा जाय।

(अनुपालन–निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20/9/2017

(श्री चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 6301 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 21/9/17

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/9/2017
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 6301 / न0वि0एवंआ0 विभाग/ पटना, दिनांक 21/9/17

प्रतिलिपि– सभी नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/ विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/9/2017
प्रधान सचिव